नाली के समानांतर बिछाए गये पाईपलाइन को बदलने भेजा जायेगा प्रस्ताव

भिलाईनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माणाधीन मकान को तत्काल पूर्ण कर एजेंसी निगम को सौंपे ताकि हितग्राहियों को आबंटित किया जा सके। नाली के समानांतर बिछाए गए पेयजल पाइपलाइन को बदलने सर्वे कर शासन को भेजे जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रसारित करने वाले डीजे संचालक के विरूद्ध कार्यवाही सहित शहर के भीतर चल रहे खटालो को एक सप्ताह में हटाना होगा। तीन अधिकारी कर्मचारी को जारी किया गया कारण बताओ सूचना पत्र। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के कार्यो की समीक्षा करते हुए बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा की प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक में 3709 मकानों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 312 पूर्ण हो गये है तथा 2405 मकानों का निर्माण आगामी तीन माह में पूर्ण कर निर्माण एजेसी निगम को सौंपे ताकि लाटरी पद्वति से हितग्राहियों को आबंटित किया जा सके। उन्होने जानकारी देते हुए बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार द्वारा निकाले गये डिजिटल वाहन का 13 दिवसीय पडाव मे भिलाई निगम क्षेत्र के 26 स्थलो पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसमें केन्द्र सरकार के जनोमुखी योजनाओं से लोगो को लाभान्वित किये जाने स्थल पर फार्म भरवाया जाना तथा लाभ प्राप्त किये हितग्राहियों को मेरी कहानी मेरी जुबानी लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। 22 दिसम्बर को प्रातः 9 बजे वार्ड-1 खम्हरिया से प्रारंभ होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रति दिवस दो पाली में अलग-अलग वार्ड में कार्यक्रम आयोजित होकर निगम के सम्पूर्ण 70 वार्ड में 3 जनवरी को संपन्न होगा। स्थल पर प्रधानमंत्री आवास, स्व-निधि, विश्वकर्मा, उज्जवला योजना, आयुषमान कार्ड, गुमस्ता, विवाह, जन्म प्रमाण पत्र, आधार अपडेशन सहित अन्य विभाग के स्टाल लगाये जायेगे। आयुक्त ने सभी जोन आयुक्त से कहा है कि छ.ग. उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर निगम क्षेत्र में ध्वनि प्रदुषण को रोकने डीजे संचालक तथा होटल , वैवाहिक भवन, सामुदायिक भवन, उद्यान का सर्वे कर रात 10 बजे के बाद डीजे बंद करवाना है तथा मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रसारित करने वाले डीजे को जप्त कर नष्ट करने की कार्यवाही करे। ध्वनि मानक क्षमता 70 डेसिबल को मापने सभी डीजे में ध्वनि मापक यंत्र लगाना होगा। आयुक्त श्री व्यास ने 21 भवन मालिको द्वारा संपत्तिकर की राशि का चेक से भुगतान करने के बाद चेक बाउंस हो जाने पर उन भवन मालिको के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर करने के निर्देश के बाद भी कार्यवाही नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संपत्तिकर विभाग के सहायक अधीक्षक एवं प्रभारी लिपिक को तथा बैठक की सूचना व्हाट्सएप पर होने के बाद भी बैठक मे उपस्थित नही होने वाले सहायक राजस्व अधिकारी को तत्काल कारण बताओ पत्र जारी किये। निगम क्षेत्र में किये गये अवैध नल कनेक्शन का नियमित करने सभी जोन आयुक्त अपने क्षेत्र में शिविर लगाये तथा पानी का बिल नही पटाने वाले लोगो के कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही करें। जिन खटाल संचालको को गोकुलधाम में भूमि आबंटन किया गया है ऐसे खटाल संचालको की पहचान कर एक सप्ताह के भीतर शहर के अंदरूनी भाग से खटाल को हटाएं अन्यथा की स्थिति में आबंटन निरस्त का प्रस्ताव देवें। उन्होने सड़क मरम्मत, सड़को पर हुए गढ्ढो को भरने , यातायात को बाधित करने वाले मुख्य मार्ग के अवैध कब्जो को हटाने एवं रोका छेका संकल्प अभियान को और गति देने के निर्देश दिये। बैठक में अपर आयुक्त उपायुक्त ,अधीक्षण अभियंता, जोन आयुक्त, सभी विभाग प्रमुख , सहायक अभियंता, उपअभियंता, नोडल अधिकारी तथा एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।